

### प्रारूप-3

भाग-2 (संविधित उप वन संरक्षक द्वारा गरा जाएगा)  
**परियोजना का नाम :-**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में ओडाटा से सरास मोटर मार्ग का निर्माण।

16. परियोजना या रकीम की अवरिथति

I. राज्य/संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

II. जिला उत्तराखण्ड

III. जिला वन प्रभाग टॉल वन प्रभाग पुराला

IV. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति:

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:  
 I. वन का प्रकार मिश्रित वन (चीड़, देवल, कल आदि)

II. वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.5

III. प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना - सूची संलग्न

IV. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - संलग्न है

19. भूक्षण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - सामान्य

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : वनभूमि के अंतर्गत

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वता :

I. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :

II. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बाहर और उपावद्ध किए जाने में गुरुत्व वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) - नहीं

III. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवरिथत है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बाहर और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) - नहीं

IV. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) - नहीं

V. क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके बाहर - नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रातिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवरिथत है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें) - नहीं

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :

I. क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा अथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। हाँ

II. यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिकमण के बाहर :

I. क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गद कि सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) - नहीं

II. यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्विलित गन गूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यवित (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के बाहर और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यवित (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही -

III. क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) - नहीं

(७)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बौरे : संलग्न हैं

- I. क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।
  - II. अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे बौरे दें। संलग्न हैं
  - III. क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीय वन सीमाएं संलग्न हैं। हाँ
- I. रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)। हाँ
  - II. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :
  - III. क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)। हाँ
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)। हाँ
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों  
वनभूमि इस्तान्तरण प्रत्ताव स्वीकृति हेतु संलग्न हैं।

स्थान: पुरोला

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रातारीख:

(उमर अमर मिश्र)

13/3/2019

उप वन संरक्षक  
टौन्स वन प्रभाग,  
पुरोला